<u>उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल</u>

रिट याचिका (एम/एस) संख्या- 150/2021

रीबा खान .....याचिकाकर्ता

बनाम

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य ..... प्रत्यर्थी

अधिवक्तागण: श्री एस आर एस गिल, (याचिकाकर्ता के अधिवक्ता) व श्री शशांक उपाध्याय, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

<u>माननीय शरद कुमार शर्मा, जे. (मौखिक)</u>

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता, जो दावा करती है कि वह जूनियर हाई स्कूल, ठाकुरद्वारा की छात्रा थी, ने सीबीएसई बोर्ड, देहरादून द्वारा आयोजित हाई स्कूल की परीक्षा दी और परीक्षा देने से पहले, उसके माता-पिता ने उसकी जन्म तिथि में सुधार के उद्देश्य से संबंधित स्कूल के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया क्योंकि उसका जन्म, जन्म प्रमाण पत्र की तिथि के अनुसार 03 जनवरी 2003 को हुआ, जो कि तत्समय मे उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा उसके पक्ष में जारी किया गया था।

2. परीक्षा 2020 में आयोजित की गई और याचिकाकर्ता का तर्क है कि जब उसे मार्कशीट मिली, तो यह पहली बार परिलक्षित हुआ कि उसकी जन्म तिथि 8 मार्च, 2005 है, जो उसके अनुसार, स्कूल अधिकारियों की गलतियों और पूर्वोक्त असावधानी के कारण दर्ज की गई, याचिकाकर्ता ने 17 अगस्त, 2020 को सम्बंधित स्कूल के समक्ष एक आवेदन दायर किया , जिसे बाद में प्रत्यर्थी क्रमांक 2 द्वारा प्रत्यर्थी क्रमांक 1 को अग्रेषित किया गया , ताकि सीबीएसई बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज याचिकाकर्ता की जन्म तिथि में आवश्यक सुधार किया जा सके।

3. याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि 9 सितंबर 2020 को आक्षेपित संचार के आधार पर, प्रस्ताव और सिफारिश, जैसा कि संस्थान द्वारा याचिकाकर्ता की जन्म तिथि में सुधार के लिए किया गया, को सीबीएसई बोर्ड द्वारा खंड 69.1/69.2 में निहित उप-नियमों के निहितार्थ के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया और इसलिए रिट याचिका प्रस्तुत की गई ।

4. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यदि उप-नियमों विशेष रूप से, उप-नियमों के खंड (9) का उल्लेख करते हुए, को ध्यान में रखा जाता, , वास्तव में, परिवर्तन, जो उनमें अनुमेय थे, केवल उस उम्मीदवार के

'नाम' या 'कुलनाम' के परिवर्तन तक सीमित हैं, जिसने सीबीएसई बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा दी हो , जो लिया जाना अनुमेय है और उस स्थिति में, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वास्तव में किसी भी परिस्थिति में जन्म की तिथि, जो एक तथ्य है, किसी भी व्यक्ति के लिए हमेशा अपरिवर्तनीय है और जन्म की तिथि को सही करने के लिए संस्थान के समक्ष आवेदन करके ठीक करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि स्कूल के रिकॉर्ड या उस मामले में सीबीएसई के समक्ष रिकॉर्ड भी सीबीएसई द्वारा लागू किए गए उप-कानूनों के दायरे में भी अनुमत नहीं होगा।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अपीलों के समूह जिनमे **अग्रणी सिविल अपील संख्या 3905/2011, जिग्या यादव (नाबालिग) (अभिभावक/पिता हरि सिंह के माध्यम से) बनाम सीबीएसई (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य),** मे 3 जून, 2021 की तिथि के एक फैसले का सहारा लिया, जिसमें विशेष रूप से, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त फैसले के पैरा 146 की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें यह प्रेक्षित किया गया है कि नाम या जन्म प्रमाण पत्र के संशोधन में परिवर्तन के लिए कठोर शर्तें होनी चाहिए, जो उपरोक्त दो पहलुओं को बदलने के लिए लागू हैं और उनका पालन किया जाना आवश्यक है। लेकिन उक्त निर्णय के पैरा 146 को ध्यान में रखते हुए, जो जन्म तिथि के सुधार से संबंधित है, यह निर्धारित किया गया कि वास्तव में बोर्ड द्वारा लागू किए गए जन्म तिथि के सुधार के लिए शब्द **'परिवर्तन'** का उपयोग नहीं किया जा सकता जो कि स्कूल रिकॉर्ड में पहले से दर्ज किए गए के विपरीत जन्म तिथि को सही करने के उद्देश्य से इसकी प्रयोज्यता में विस्तार नहीं किया जा सकता है और इसलिए यह देखा गया कि कथित सुधार को केवल बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले निर्णय द्वारा या स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर सुधार किया जा सकता है और जो सुधार के लिए आवेदन करता है उस व्यक्ति की पसंद के आधार पर न तो बदला जा सकता है और न ही किसी नई तिथि से परिवर्तित किया जा सकता है। उक्त निर्णय का पैरा 146 नीचे उद्धृत किया गया हैः

> "146 -इसी तरह का प्रावधान, जन्म की तिथि में सुधार के लिए या तो स्कूल के रिकॉर्ड के आधार पर या अदालत के आदेश के आधार पर उपलब्ध है।"परिवर्तन" शब्द का उपयोग नाम की तरह जन्म की तिथि के लिए नहीं किया जाता है क्योंकि, नाम के विपरीत, केवल एक जन्म तिथि हो सकती है और इसे स्कूल के रिकॉर्ड या न्यायालय के आदेश के अनुरूप बनाने के लिए केवल एक संशोधन किया जा सकता है।"अपनी पसंद की नई तिथि के साथ पहले की तिथि को प्रतिस्थापित करने के लिए इसे नहीं बदला जा सकता है। यह नोट किया जाए , जन्म की तिथि और नाम में सुधार से संबंधित प्रावधान न्यायसंगत और तर्कसंगत हैं और संशोधनों की अनुमति पर कोई

अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाते हैं।सीमा अवधि के संबंध में प्रतिबंधों की बाद में अन्य प्रावधानों के साथ जांच की जाएगी।"

6. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान उन मताभिव्यक्तियों की ओर आकर्षित किया है जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पैरा 156 में की गई थीं, जिसमें यह उपबंध किया गया है कि यद्यपि उपविधियां जन्म की तिथि में सुधार की अनुज्ञा देने वाले पहलू के संबंध में मौन हो सकती हैं, किंतु उस पहलू पर उपविधियां सक्षम सिविल न्यायालयों की उस पहलू में कार्य करने और साक्ष्य के मूल्यांकन के आधार पर न्यायिक निष्कर्ष जन्म की वास्तविक तिथि क्या होगी पर पहुंचने की अधिकारिता को समाप्त नहीं करेगा, जो साक्ष्य के मूल्यांकन के बाद ही अवधारित की जा सकती है और नियमित सिविल न्यायालय के निर्णय के पश्चात् ही, जब निर्णय दिया जाता है तो यह एक सार्वजनिक घोषणा होगी जिसके आधार पर आवेदन को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। पैरा 156 का निर्णय का उद्धरण नीचे दिया गया हैः

> "156-जब कोई छात्र पूर्व अनुमति और/या घोषणा के लिए न्यायलय में आवेदन करता है और सार्वजनिक दस्तावेज प्रस्तुत करता है, तो न्यायालय एक जांच शुरू करेगा जिसमें कानूनी उपधारणा सार्वजनिक दस्तावेजों के पक्ष में काम करेगी और परिवर्तन का विरोध करने वाले पक्ष पर किसी अन्य आधार पर उपधारणा का खंडन करने या दावे का विरोध करने का भार पड़ेगा।दस्तावेज़ की प्रामाणिकता साथ ही उसकी सामग्री के प्रश्न पर उसी जांच में निर्णय लिया जाएगा और न्यायालय आधिकारिक रिकॉर्डों के सत्यापन और उसकी प्रामाणिकता से संतुष्ट होने पर ही वांछित परिवर्तन की अनुमति देगा।साथ ही, अनुरोध किए गए परिवर्तनों के औचित्य के प्रश्न पर विचार किया जाएगा और छात्र द्वारा प्रदर्शित आवश्यकता से संतुष्ट होने पर ही न्यायालय इसकी अनुमति प्रदान करेगा।उक्त अनुमति को बोर्ड के समक्ष, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की प्रति और अपेक्षित (निर्धारित) शुल्क (यदि कोई हो) के साथ, प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके बाद बोर्ड को आगे की जांच करने का कोई अधिकार नहीं होगा और न ही आगे किसी सत्यापन की आवश्यकता होगी।"

7. चूंकि उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में सीधे लागू होता है, जहां याचिकाकर्ता ने स्कूल के रिकॉर्ड में दर्ज की गई जन्म की तिथि में सुधार की मांग की है जो साथ ही बोर्ड के पास भी दर्ज की गई और बोर्ड के रिकॉर्ड के संबंध में मांगी गई सुधार से संबंधित, उपरोक्त निर्णय के बाद से, याचिकाकर्ता का मामला उक्त निर्णय के पैरा 156 में दिए गए मानदंडों के तहत विचार के लिए आएगा, और सुधार को केवल तभी लाया जा सकता है, जब इसे नियमित सिविल न्यायालय द्वारा दिए जाने वाली घोषणा के लिए एक वाद के रूप में लाया जा सकता है।

8. उस स्थिति में, इस रिट याचिका को खारिज किया जा रहा है और याचिकाकर्ता के लिए जन्म की तिथि को सही करने की घोषणा की डिक्री की मंजूरी के लिए नियमित सिविल वाद दायर करने की स्वतंत्रता पर छोड़ा जाता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय के पैरा 156 में परिकल्पना की गई है, और फिर न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णयन किए जाने के बाद तदनुसार आगे बढ़ना होगा।

(शरद कुमार शर्मा, जे.)

06.04.2022

Mahinder/